न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 27/2021

प्रार्थी

श्रीमती सुमटीदेवी पत्नी स्व. केवाराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– कालन्द्री, तहसील व जिला सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही
3. जयन्तिलाल पुत्र हकमा जी, जाति–मेघवाल, निवासी–कालन्द्री, तह. व जिला सिरोही

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर, अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 09 मई, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा श्री हकमा पुत्र सुरतिंग जी, जाति–मेगवाल, निवासी– कालन्द्री के पक्ष में क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा दिनांक 3–10–1976 (जिस पर मिसल संख्या 146 तारीख दायर 13–3–1974 अंकित है) को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 06–5–2025 को बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राव ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त कि प्रार्थीया के पति केवाराम जी मेघवाल का करीब 60–65 साल पुराना कब्जे शुदा भूखण्ड मेरो का वास, ग्राम कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही में आया हुआ है, जिसके उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 3 का मकान, दक्षिण दिशा में रास्ता, पूर्व में 5 फीट गली व पश्चिम में घांचियों का मकान है तथा नाप उत्तर–दक्षिण 30 फीट व पूर्व–पश्चिम 60 फीट कुल क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थीया का अपने पति के समय से गत 60–65 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है, जिस पर प्रार्थीया का केलुपोश का मकान बना हुआ हैं एवं प्रार्थीया का उक्त भूखण्ड पर पानी का हौज बना हुआ है तथा प्रार्थीया ने नल एवं विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है और प्रार्थीया ने उक्त भूखण्ड पर पुनः नव निर्माण करने हेतु पत्थर व ईटे डलवाये थे एवं नीव खुदाई का कार्य शुरू करवाया था, लेकिन अप्रार्थी संख्या 03 (तीन) ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से मेल मिलाप कर यह जानते हुए कि उक्त वादग्रस्त भूखण्ड पर प्रार्थीया का मौके पर पुराना कब्जा चला आ रहा हैं एवं निर्माण कार्य हेतु नीव खुदाई करवाकर पत्थर डाले गये हैं, प्रार्थीया को नुकसान पहुँचाने की नियत से अप्रार्थी संख्या 03 (तीन) ने अपने पिता हकमाराम के नाम से फर्जी पट्टे के आधार पर उक्त कार्य को

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

रुकवाकर उक्त भूखण्ड पर अपने नाम से एन.ओ.सी. जारी करवाने हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय, कालन्द्री में आवेदन करने पर प्रार्थीया को यह ज्ञात हुआ कि प्रार्थीया के उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पिता के नाम से फर्जी पट्टा बनवाया है। जबकि बाप दादाओं के समय से उक्त भूखण्ड़ पर प्रार्थीया का कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पास स्वयं का उक्त भूखण्ड़ के दक्षिणी दिशा में लगता हुआ मकान आया हुआ है। प्रार्थीया द्वारा अपने स्वयं के कब्जे शुदा भूखण्ड पर पूर्व में नवनिर्माण हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय में विधिवत् रूप एन.ओ.सी. प्राप्त की थी एवं उक्त एन.ओ.सी. के संबंध में प्रार्थीया द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय, कालन्द्री में राशि रुपये 505/— (अक्षरे रुपये पांच सौ पांच मात्र) पुस्तक संख्या 183 रसीद संख्या 65 दिनांक 10.12.2014 से जमा करवाये थे। यह कि उक्त भूखण्ड़ प्रार्थीया के पति को भाई बंट में प्राप्त हुआ है जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) का कोई हक अधिकार नही है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 03 (तीन) के पिता द्वारा गलत एवं फर्जी तरीके से उक्त पट्टा बनवाया गया है, जिसका ग्राम पंचायत, कालन्द्री में किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है जिससे उक्त प्रश्नगत पट्टा निरस्त योग्य है। यह कि प्रार्थीया के उक्त पुराने कब्जे शुदा भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 03 (तीन) के पिता द्वारा नियम विरुद्ध पट्टा जारी करवाया है, जबकि प्रार्थीया आज भी उक्त भूखण्ड़ के मौके पर काबिज है। अप्रार्थी संख्या 03 (तीन) पिछले कई वर्षो से परिवार सहित अपने पैतृक मकान में निवास करता है। अप्रार्थी संख्या 03 (तीन) के पिता के नाम से उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया है जिस पर पट्टा संख्या भी अंकित नहीं हैं एवं न ही मौके अनुसार चतुदर्शी अंकित की गई है। इससे भी स्पष्टतया जाहिर है कि उक्त पट्टा विलेख सरासर फर्जी तरीके से बिना जांच व बिना मौका मुआयना किये तथा नियमो की पालना किये बगैर फर्जी तरीके से जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 03 (तीन) द्वारा आज दिन तक प्रार्थीया को उक्त भूखण्ड के संबंध में कभी भी कोई एतराज जारी नहीं किया गया हैं एवं प्रार्थीया उक्त भूखण्ड पर आज भी बतौर मालिक काबिज है जिससे अप्रार्थी संख्या 03 (तीन) को अब उक्त भूखण्ड पर हक अधिकार जताने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीया जो एक विधवा औरत है जिसका उक्त भूखण्ड़ पर कच्चा केलुपोश का कमरा बना हुआ था जो काफी जर्जर होने से धवस्त हो चुका है। इसी कारण से पत्थर डालकर नीव खुदाई की तैयारी कर रहे थे कि तभी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त कार्य को रुकवाया गया है तब प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 03 (तीन) के पिता के नाम से जारी पट्टे की जानकारी हुई है। यह कि उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) द्वारा प्रार्थीया के पुराने कब्जेशुदा भूखण्ड़ को हड़पने की नियत से प्रार्थीया का निर्माण कार्य रुकवाया गया है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पिता हकमा पुत्र सुरतिंगजी, जाति-- मेघवाल, निवासी— कालन्द्री के नाम से जारी पट्टा दिनांक 3—10—76 (जिस पर मिसल संख्या 146 तारीख दायर 13—3—74 अंकित है) को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के विद्वान अधिवक्ता श्री माथुर ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया के पति केवाराम का मेरो के वास, ग्राम कालन्द्री मे कभी भी निवास नहीं रहा है, बल्कि प्रार्थीया अपने पति केवाराम व बच्चो के साथ कालन्द्री ग्राम में होली चौक पर स्थित अपने स्वामित्व के पुराने केलुपोश मकान में निवास करती आई है। होली चौक में स्थित मकान जर्जर होने से प्रार्थीया ने मेरो के वास में ही अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के स्वामित्व के भूखण्ड के सामने वाली गली में करीब 7 वर्ष पूर्व डबल स्टोरी का मकान बनाया है, प्रार्थीया वर्तमान में उक्त नवीन डबल स्टोरी वाले मकान मे ही निवास कर रही है। प्रार्थीया ने निगरानी आवेदन के साथ जो लाईट का बिल प्रस्तुत किया है वह लाईट का बिल असल में मेरो

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

के वास मे निर्मित उक्त नये घर का है। प्रार्थीया के नाम से बिजली, पानी का कनेक्शन पट्टा संख्या 7 दिनांक 13.03.1974 की भूमि पर होने का कथन गलत है। प्रश्नगत पट्टा संख्या 7 दिनांक 13–3–1974 की सम्पति, अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व एवं पट्टा शुदा सम्पत्ति है। उक्त सम्पत्ति का पट्टा ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पिता हकमाराम पुत्र सुरतींगजी मेघवाल, निवासी–कालन्द्री के नाम से बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पिता हकमाराम पुत्र सुरतींगजी मेघवाल के कब्जे हक अधिकार का एक भूखण्ड ग्राम कालन्द्री मे मेरो के वास में स्थित रहा है जिसकी चतुर्दशीं पूर्व दिशा में 5 फीट की गली व आगे देवारामजी घांची का मकान, पश्चिम दिशा में गली मय दरवाजा, उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 3 के भाई चतराराम के स्वामित्व का मकान व दक्षिण दिशा में आम रास्ता कालन्द्री से पाडीव की ओर है तथा नाप पूर्व दिशा में 30 फीट, पश्चिम दिशा में 30 फीट, उत्तर दिशा में 60 फीट व दक्षिण दिशा में 60 फीट कुल समचौरस 1800 वर्गफीट है। उपरोक्त नाप और चतुदर्शी के भूखण्ड पर कब्जा एंव हक अधिकार अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पिता हकमाराम पुत्र सुरतींगजी मेघवाल, निवासी–कालन्द्री का पटटा आवेदन की तिथी से कई वर्ष पुराना रहा है जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पिता ने कच्चा केलुपोश मकान बनाया और उक्त मकान मे अपने परिवार सहीत निवास करते रहे है। हकमारामजी के दोनो पुत्रो कमशः जयन्तिलाल, चतराराम और एक पुत्री कमला का जन्म भी इसी कच्चे केलुपोस मकान में हुआ है। लम्बे समय तक निवास और कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत कालन्द्री ने हकमारामजी के नाम से दिनांक 13–3–1974 को पटटा जारी किया है जिसके पटटा संख्या 7. मिसल संख्या 146 है। हकमारामजी का देहान्त सन् 1998 में और हकमारामजी की पत्नि का देहान्त 22 जनवरी, 2014 में हुआ है। हकमारामजी और उनकी पत्नि की मृत्यु के सभी सामाजिक रिती रिवाज इसी केलुपोश मकान में किए गये थे हकमारामजी और उनकी पत्नि की मृत्यु के बाद तीनो भाई बहन इसी मकान में पले बढे है। समय के साथ कमला का विवाह होने से वह ग्राम नवारा अपने ससुराल चली गई और चतराराम ने इसी पटटेशुदा केलुपोस मकान के उत्तर दिशा में लगते मकान का निर्माण कर दिया जिससे दोनो भाई बहनो चतराराम और कमला ने उपरोक्त पटटा संख्या 7 दिनांक 13–3–1974 पर निर्मित कच्चे केलुपोश मय भूखण्ड मे से अपना अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पक्ष में रिलिज कर दिया और दोनो भाई बहनो ने अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पक्ष में पंजीबद्ध रिलिज डीड भी निष्पादीत कर दिया, जिससे उपरोक्त पटटा संख्या 7 दिनांक 13–3–1974 की सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) बना है। उक्त पट्टाशुदा कच्चा कच्चे केलुपोश पूर्णतया जर्जर हो गया था और मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया था जिससे अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) ने उक्त कच्चे केलुपोश को खाली कर दिया और उससे लगते उसके भाई चतराराम के मकान मे निवास करना प्रारम्भ कर दिया, पिछले 5 वर्ष पहले उक्त जर्जर कच्चा केलुपोश मकान पूर्ण रूप से ढह गया जिससे उक्त कच्चे केलुपोश के मलबे को हटा दिया गया है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) ने उक्त भूखण्ड पर झुपा बनाया है जिसमे अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) अपनी भैसे बांधता है। उक्त भूखण्ड पर भैसो का चारा, लकडीया व अन्य सामान भी रखा हुआ है। प्रार्थीया प्रश्नगत पट्टे शुदा भूखण्ड की स्वामी कभी नहीं रही है। प्रश्नगत पट्टे शुदा सम्पत्ति अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व की सम्पति है। प्रार्थीया का प्रश्नगत भू:खण्ड से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। प्रश्नगत भूखण्ड का स्वामित्व कभी भी प्रार्थीया में निहित नहीं हुआ है। प्रार्थीया ने लोगों की सिखावट में आकर अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पिता की सम्पत्ति को उसके स्वामित्व की सम्पत्ति होना अवैद्य रूप से दर्शाया है। उक्त भूखण्ड के पूर्व दिशा में व दक्षिण दिशा में आम रास्ता है। उक्त भूखण्ड के पूर्व और दक्षिण दिशा में कांटो की बाढ की हुई है।

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

पश्चिम दिशा में क्षीणे लगाई है और उत्तर दिशा में भाई चतराराम के मकान की दिवार है। उक्त भूखण्ड पर पानी का हॉज, शौचालय व स्नानघर बना हुआ है जिसका निर्माण अप्रार्थी संख्या 3 तीन के पिता ने करवाया था जो अभी र्जजर अवस्था में है। उक्त भूखण्ड पर खुले भाग में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के 1 गाडी (ट्रक) क्षीणे, 3 तीन ट्राली पत्थर, 1 एक ट्राली ईटे पडी है। उक्त भूखण्ड में अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पिता द्वारा लगाये गये पुराने पेड स्थित है। इस प्रकार, उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के स्वतंत्र स्वामित्व का भूखण्ड है। यह कि प्रश्नगत पट्टा जारी किये हुये करीब 50 वर्ष हो चुके है, जिससे प्रार्थीया की यह निगरानी विधि में परिपोषणीय नहीं है एवं काबिल खारिज के है। ग्राम पंचायत कालन्द्री ने विधिवत प्रस्ताव पारित कर सन् 1974 में प्रश्नगत भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पिता हकमारमाजी के हक में जारी किया है। उक्त पट्टा जारी किये जाने में किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है। प्रश्नगत पट्टा तत्समय के राजस्थान पंचायत सामान्य नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किया है। प्रश्नगत पट्टा ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरंपच एवं ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षरों से जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टा ग्राम पंचायत, कालन्द्री ने आबादी भूमि का अप्रार्थी संख्या 3 (तीन) के पिता के हक में जारी किया है। ग्राम पंचायत, कालन्द्री को प्रश्नगत भूमि का पट्टा जारी करने का विधि में अधिकार है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत् युक्तियुक्त समय में ही निगरानी प्रस्तुत करने का प्रावधान है। प्रश्नगत पट्टा सन् 1974 में जारी किया हुआ है। जिसकी जानकारी प्रार्थीया व उसके पति को होने के बावजूद भी प्रार्थीया व उसके पति ने प्रश्नगत भूमि के पट्टे की वैद्यता के सम्बन्ध में कभी कोई चुनौती नहीं दी है। प्रार्थीया ने उक्त निगरानी आवेदन 49 वर्ष बाद प्रस्तुत करने का कोई कारण नहीं दर्शाया है, जिससे प्रार्थीया का निगरानी आवेदन मियाद बाहर है। अतः प्रार्थीया का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा श्री हकमा पुत्र सुरतींग जी, जाति— मेगवाल, निवासी— कालन्द्री के पक्ष में राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल पूर्व—पश्चिम 30 फीट व उत्तर—दक्षिण 60 फीट कुल 1800 वर्गफीट भूमि का पट्टा दिनांक 3—10—76 को जारी किया हुआ है, जिस पर मिसल संख्या 146 तारीख दायर 13—3—74 अंकित है। इस पट्टे में अंकित चतुर्दशी उत्तर में मेघवालों का प्लोट, दक्षिण में 50 फुट का आम सड़क व आम रास्ता पाडीव—सिरोही, पूर्व में 5 फुट की गली व पश्चिम में 20 फुट का आम रास्ता व दरवाजा एक दर्शाया हुआ है।

प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के समर्थन में ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा सतराराम पुत्र हकमाजी, जाति—मेगवाल, निवासी— कालन्द्री के पक्ष में राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 266 के तहत जारी पट्टा संख्या 9 दिनांक 3—10—76 की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गई है जिस पर भी मिसल संख्या 146 तारीख दायर 13—3—74 अंकित है तथा इस पट्टा संख्या 9 दिनांक 3—10—76 पर अंकित रसीद संख्या 21/79 दिनांक 1—12—76 राशि रुपये 11/— (ग्यारह रुपये) की छाया प्रति भी प्रार्थी निगरानीकार द्वारा निगरानी आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

इस प्रकार, प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनों पट्टों की छाया प्रतियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि एक ही मिसल संख्या व तारीख दायर अंकित कर ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा एक ही दिनांक 3—10—76 में दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम से पट्टे जारी किये गये है, जिसमें एक, पट्टा संख्या 9 दिनांक 3—10—76 को

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही

उक्त सतराराम पुत्र हकमाजी, जाति–मेगवाल, निवासी– कालन्द्री के नाम से जारी किया गया है एवं दूसरा, पट्टा दिनांक 3–10–76 को हकमा पुत्र सुरतिंगजी, जाति–मेगवाल, निवासी– कालन्द्री के नाम से जारी किया हुआ है तथा उक्त हकमा पुत्र सुरतिंगजी, जाति–मेगवाल, निवासी– कालन्द्री के नाम से जारी पट्टा दिनांक 3–10–76 पर भी मिसल संख्या 146 तारीख दायर 13–3–74 अंकित है और पट्टा नंबर अंकित नही है। जबकि एक ही दिनांक में एक ही मिसल संख्या व मिसल दायर तारीख अंकित कर दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम से पट्टे जारी होना कानूनन संभव नही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा हकमा पुत्र सुरतिंगजी, जाति–मेगवाल, निवासी– कालन्द्री के नाम से जारी पट्टा दिनांक 03–10–76 (जिस पर मिसल संख्या 146 तारीख दायर 13–3–74 अंकित है) विधि अनुरुप जारी नही हुआ है।

आदेश

अतः हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा श्री हकमा पुत्र सुरतिंग जी, जाति–मेगवाल, निवासी– कालन्द्री के नाम से क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा दिनांक 3–10–76 (जिस पर मिसल संख्या 146 तारीख दायर 13–3–74 अंकित है) को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, कालन्द्री को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूखण्ड के मौके व रेकर्ड की जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुरुप विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09 मई, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय * सिरोही * सत्यमेव जयते

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही